तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.26/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
08.12.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री रमेश चन्द्र सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी ओमप्रकाश बाकलीवाल पुत्र रामप्रताप बाकलीवाल, जाति–बाकलीवाल, निवासी– सुभम अम्बिका कॉलोनी, एसबीआई के पास, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, पूर्णिमा डेयरी, सब्जी मण्डी, आबूरोड़, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री रमेश चन्द्र सैनी,, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 26.10.2021 को फर्म पूर्णिमा डेयरी, सब्जी मण्डी, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी ओमप्रकाश बाकलीवाल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1513 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./764/Act/2021/949 दिनांक 15.12.2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण में प्रतिवादी ओमप्रकाश बाकलीवाल की ओर से उसके पुत्र जितेन्द्र कुमार ने इस न्यायालय में दिनांक 02.12.2022 को उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 02.12.2022 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रमेशचन्द्र सैनी उपस्थित नही हुये। प्रतिबादी ओमप्रकाश के पुत्र जितेन्द्र कुमार को सुना गया। उसने यह व्यक्त किया कि उसके पिता ओमप्रकाश बाकलीवाल आज बाहर गांव जाने से उपस्थित नही हो पाये है। हमारा व्यापार छोटा है एवं भविष्य में मिथ्याछाप खाद्य सामग्री का विक्रय नही करेंगे। अतः प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) दिनांक 26.10.2021 को समय 1.10 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म पूर्णिमा डेयरी, सब्जी मण्डी, आबूरोड़ पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से ओमप्रकाश बाकलीवाल पुत्र रामप्रताप बाकलीवाल, जाति–बाकलीवाल, निवासी– सुभम अम्बिका कॉलोनी, एसबीआई के पास, आबूरोड़, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा ब्राण्ड) बेचता है। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता ओमप्रकाश बाकलीवाल को भरकर दी व स्वयं श्री विनोद कुमार शर्मा, ...लगातार	

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:28:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.26/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने दुकान के अन्दर एक केन में रखे हुए पैक्ड खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा ब्राण्ड) लगभग 140 किलोग्राम को अच्छी तरह हिलामिलाकर एक रुप किया एवं इस एक रुप किये हुए खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा ब्राण्ड) में से 800 ग्राम घी नमूना जांच हेतु क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 368/– (अक्षरे रुपये तीन सौ अडसठ मात्र) प्रतिवादी ओमप्रकाश बाकलीवाल को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1513, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा ब्राण्ड) का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने हस्ताक्षर किये। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने गवाह एवं खाद्य कारोबारकर्ता को चार साफ सूखे व खाली प्लास्टिक के जार दिखाकर खरीदशुदा खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा ब्राण्ड) को बराबर–बराबकर मात्रा में चारों जारों में भरा एवं चारों जारों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। प्रत्येक चार पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1513 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपड़ी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने दिनांक 27.10.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 की सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 26.10.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार,, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ....लगातार	

न्यायालय प्रात० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:28:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रात. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.26/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) द्वारा फर्म पूर्णिमा डेयरी, सब्जी मण्डी, आबूरोड़ में प्रतिवादी विक्रेता ओमप्रकाश बाकलीवाल से खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1513 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./764/Act/2021/949 दिनांक 15.12.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी ओमप्रकाश बाकलीवाल ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी ओमप्रकाश बाकलीवाल पुत्र रामप्रताप बाकलीवाल, जाति–बाकलीवाल, निवासी– सुभम अम्बिका कॉलोनी, एसबीआई के पास, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, पूर्णिमा डेयरी, सब्जी मण्डीं, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी ओमप्रकाश बाकलीवाल को आदेशित किया जाता है कि उस पर आरोपित शास्ति (जुर्माना) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 25.1.2023 को पेश हो।

(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:28:14 IST
Reason: SelfAttested